3226/13
25/2/14

रूप क्रमांक ४

(देखिये नियम १२)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक जे.के. 3991 दिनांक 2-11-98

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयत समिति कटनी जूडो संघ लक्ष्मी नारायण मंदिर रोड तिलक वार्ड मिशन रोड कटनी स्थित है तहसील में जिला में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब वह श्री हास्पिटल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स सोसायटी कटनी नाम से मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण श्री अस्पताल, एन.एच.7 एम.एम. चौबे वार्ड कटनी अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४) की धारा १३ की उप-धारा (२) के अधीन पंजीयित की गई है।

दिनांक पच्चीस माह फरवरी सन् ~~१९~~ 2014

(जे. के. दुबे)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर
समितियों के रजिस्ट्रार

कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें जबलपुर संभाग जबलपुर

10/2024
8/4/2024

प्रारूप 7 (सात)

(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रं. 44 सन् 1973) की 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।

1. सोसायटी का नाम व पूरा पता : श्री हॉस्पिटल एजूकेशनल एवं स्पोटर्स सोसायटी कटनी म0प्र0
2. पंजीयन क्रमांक एवं तारीख : जे.के.3991 दिनांक 02/11/1998
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख : 19/11/2023 : उन्नीस नवम्बर सन् दो हजार तेईस
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची : कार्यकाल दि. 19/11/2023 से 18/11/2028 तक

क्र.	नाम	धारित पद	पता	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	डॉ दीपक सक्सेना	अध्यक्ष	श्री हॉस्पिटल कटनी	डॉक्टर	[signature]
2	श्री सुनील मिश्रा	उपाध्यक्ष	बरही रोड कटनी	पूर्व विधायक	[signature]
3	डॉ. शोभना सक्सेना	सचिव	श्री हॉस्पिटल कटनी	डॉक्टर	[signature]
4	अमोध सक्सेना	कोषाध्यक्ष	श्री हॉस्पिटल कटनी	इंजीनियर	[signature]
5	श्री सुधीर मिश्रा	कार्य. का. सदस्य	बरही रोड कटनी	व्यवसायी	[signature]
6	श्री मती स्वाति सक्सेना	कार्य. का. सदस्य	श्री हॉस्पिटल कटनी	ग्रहणी	[signature]
7	डॉ.योगेन्द्र श्रीवास्तव	कार्य. का. सदस्य	1007संजीवनी नगर जबलपुर	डॉक्टर	[signature]
8	डॉ. सी.पी.कोठारी	कार्य. का. सदस्य	117 कंचन बाग इन्दौर	डॉक्टर	[signature]
9	कुमारी शांभवी सक्सेना	कार्य. का. सदस्य	श्री हॉस्पिटल कटनी	विद्यार्थी	[signature]

2. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रं. 44 सन् 1973) की 27 के अधीन 2000 रूपये मात्र की वार्षिक फीस, चालान SBIN00061591475201120238773337 दिनांक 20/11/2023 के द्वारा जमा कर दी गई है जिसकी मूल प्रति संलग्न है

"मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

घोषणा

मैं डॉ. दीपक सक्सेना पुत्र श्री एल.एम. सक्सेना आयु 60 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है सोसायटी के अभिलेख मुझ अधो हस्ताक्षर कर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप धारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो रहूँगा।

T.C.

दिनांक : 20/11/2023

अध्यक्ष
श्री हॉस्पिटल एजूकेशनल
एवं स्पोर्ट्स सोसायटी
जि कटनी(म.प्र.)

8/4/2024

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

510/26
17/04/26

संशोधित संविधान

1. **संस्था का नाम** - श्री हॉस्पिटल एजुकेशनल एवं स्पोर्ट्स सोसायटी, कटनी म.प्र.।
2. **संस्था का कार्यालय** - श्री अस्पताल, एन एच 7, एम एम चौबे वार्ड, कटनी ।
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र** - सम्पूर्ण भारत होगा ।

रजिस्ट्रेशन नम्बर JK 3991
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 02/11/1998
संशोधन का दिनांक 17/04/26
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

4. **संस्था के उद्देश्य:-**
   1. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
   2. मार्शल आर्ट, जूडो, ताईक्वान्डो, कराटे आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना।
   3. स्वास्थ्य संबंधी शिविरों का आयोजन करना।
   4. खेल भावना तथा बच्चों के शारीरिक विकास के लिये स्पर्धाओं का आयोजन करना।
   5. बच्चों का नैतिक, मानसिक विकास करना।
   6. बच्चों के विकास हेतु ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन करना।
   7. व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये योग तथा स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्र की शिक्षा से संबंधित संस्थायें खोलना।
   8. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कम्प्यूटर कॉलेज खोलकर लोगों को प्रशिक्षित करना।
   9. तकनीकी, औद्योगिक, टेक्नीकल आदि संस्थाओं का संचालन कर लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना
   10. मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कोर्स एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर संचालित करना
   11. पर्यावरण की रक्षा हेतु विशेष प्रचार-प्रसार कर समाज में जागरूकता लाना।
   12. **संस्था के सभी उद्देश्य पूर्णतः गैर-लाभकारी (Not for Profit) होंगे।**

5. **सदस्यों की योग्यता** - कोई भी नागरिक जो श्री हॉस्पिटल एजुकेशनल एवं स्पोर्ट्स सोसायटी, कटनी (म.प्र.) की सदस्यता चाहता है, उसे निम्न शर्तों पर सदस्य बनाया जा सकेगा।
   1. जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
   2. संस्था के नियमानुसार सदस्यता राशि जमा करता हो तथा संस्था के विकास के लिये वचनबद्ध हो।
   3. पागल, दिवालिया या किसी जघन्य अपराध के लिये सजायाफ़्ता न हो।
   4. भारतीय नागरिक हो ।

6. **सदस्यता के प्रकार -**
   1. **सामान्य सदस्य:-** वे सदस्य जो 24 / सदस्यता शुल्क (वार्षिक) जमा करेंगें ।उन्हें 1 वर्ष के लिये सदस्य बनाया जायेगा इसी प्रकार पुनः नई सदस्यता शुल्क जमा कर सदस्य बन सकता है। सामान्य सदस्य की सदस्यता 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक मान्य होगी ।
   2. **आजीवन सदस्य:** वे सदस्य जो एक मुश्त एक हजार रुगये सदस्यता शुल्क देगे उन्हे आजीवन सदस्य बनाया जायेगा इन्हे वार्षिक शुल्क देय नही होगा, तथा वे एक हजार रूपये और देकर संरक्षक सदस्य बन सकेगें ।

कोषाध्यक्ष श्री हास्पिटल एजूकेशनल एवं स्पोर्ट्स सोयायटी जि.कटनी(म.प्र.)	सचिव श्री हास्पिटल एजूकेशनल एवं स्पोर्ट्स सोयायटी जि.कटनी(म.प्र.)	अध्यक्ष श्री हास्पिटल एजूकेशनल एवं स्पोर्ट्स सोयायटी जि कटनी(म.प्र.)

क्रमश..

3. **संरक्षक सदस्य:-** वे सदस्य जिन्होने संस्था के निर्माण के समय दो हजार या. दो हजार से अधिक राशि जमा करेगें वे सरंक्षक सदस्य होगें ये आजीवन सदस्य होगें तथा सदस्यता के क्रम में प्रमुख मान्य होगें।
4. **सम्माननीय सदस्य:** - संस्था गणमान्य, विशिष्ट नागरिकों, अधिकारियों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को सम्मानीय सदस्य बनायेगी जो निःशुल्क सदस्य होगें तथा मतदान के अधिकारी नही होगें ।

7. सदस्यता समाप्ति -

1. पागल दिवालिया या किसी न्यायालय द्वारा जघन्य अपराध का अपराधी घोषित करने पर सदस्यता समाप्ति की जायेगी।

रजिस्ट्रेशन नम्बर ...JK 3991...
रजिस्ट्रेशन का दिनांक ...02/11/1998
संशोधन का दिनांक ...17/04/26

2. वार्षिक शुल्क न देने पर सदस्यता समाप्त मानी जायेगी।
3 संस्था के हितों के प्रतिकूल कार्य करने पर सदस्यता समाप्त की जायेगी।
4. मृत्यु हो जाने पर।

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

5. सदस्य द्वारा सदस्यता समाप्ति के आवेदन करने तथा स्वीकृत होने पर सदस्यता समाप्त होगी ।

सदस्यता समाप्ति की घोषणा कार्यकारिणी द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पास की जायेगी । संबंधित सदस्यों की रजिस्टर्ड डाक से जानकरी भेजी जावेगी ।

8. सदस्य पंजी - पजीयन कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी जो कोई बात जोडने के लिये प्रथम साक्ष्य मानी जायेगी। पंजी में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर एवं उनका विवरण रखा जायेगा ।

9. सदस्य पंजी संविषय- प्रत्येक सदस्यों का नाम, पता व्यवसाय, चंदा व सदस्य पंजी हर समय पूरी रहेगी साधारण सभा या आम सभा में हुए परिवर्तन वृद्धि या संशोधन को लाल स्याही में लिखा जायेगा।

10. साधारण सभा -

1. साधारण सभा में सभी प्रकार के सदस्य, आमंत्रित किये जायेगें जिनमें सम्मानित सदस्यों को छोडकर सभी मताधिकार के अधिकारी होगे ।
2. साधारण सभा वर्ष में एक बार अवश्य रूप से बुलायी जावेगी आवश्यकता पडने पर समय से पूर्व भी साधारण सभा बुलायी जा सकती है। यदि 2/3 से अधिक सदस्य आग्रह करे तो साधारण सभा बुलायी जा सकती है। तथा आवश्यकता पडने पर अधिकतम दो माह की अवधि बढायी जा सकती है ।
3. साधारण सभा में संस्था का बजट एवं प्रगति प्रतिवेदन की स्वीकृति के साथ ही संस्था के नियमों में संशोधन एवं वृद्धि की जा सकेगी।
4. संस्था के उद्देश्य पूर्ति की समस्याओं की स्वीकृति के साथ ही कार्यकारिणी के रिक्त पदों की पूर्ति एवं कार्यकारिणी के चुनाव बहुमत के आधार पर किये जावेगें।
5. साधारण सभा के एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को जानकारी देना आवश्यक होगा ।

कोषाध्यक्ष	सचिव	अध्यक्ष
श्री हास्पिटल एजूकेशनल एवं स्पोर्ट्स सोयायटी जि.कटनी(म.प्र.)	श्री हास्पिटल एजूकेशनल एवं स्पोर्ट्स सोयायटी जि.कटनी(म.प्र.)	श्री हास्पिटल एजूकेशनल एवं स्पोर्ट्स सोयायटी जि.कटनी(म.प्र.)

क्रमशः

6. साधारण सभा में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति मान्य होगी कोरम के अभाव में अध्यक्ष सभा समाप्त कर दो घंटे बाद पुनः उसी स्थान पर साधारण सभा की घोषणा कर सकेगा जिसमें कोरम की बाद्धता नहीं होगी किन्तु संविधान में संशोधन एवं वृद्धि में कोरम की पूर्ति होना अनिवार्य होगी ।

11. प्रबंधकारिणी- संस्था के उद्देश्य पूर्ती हेतु कार्यकारिणी का गठन चुनाव में बहुमत के आधार पर होगा जिसमें सभी प्रकार के मताधिकारी सदस्यों का समायोजन किया जायेगा जिसमें नौ सदस्य होगें। नौ सदस्यीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और पांच सदस्य होगें ।

12. प्रबंध कार्यकारिणी के कर्तव्य एवं अधिकार-

1. संस्था के उद्देश्य पूर्ति हेतु व्यवस्था करना प्रतिवर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं की देखरेख कर्मचारियों की नियुक्ति भुगतान तथा पृथक करना।
3. पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को जानकारी भेजना।
4. साधारण सभा का आयोजन तथा समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहयोग।
5. कार्यकारिणी की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य होगी। लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहने वाली कार्यकारिणी सदस्य या पदाधिकारी को कार्यकारिणी से पूर्थक करना।
6. समस्त लैनदारी एवं देनदारी का निर्वाह करना एवं संस्था के हित में न्यायालय जाने का अधिकार होगा ।
7. कार्यकारिणी का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। जिसमें संस्था उद्देश्य पूर्ति का पूर्णाधिकार होगा

रजिस्ट्रेशन नम्बर ...JK 3991
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 02/11/1998
सशोधन का दिनांक 17/04/26
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

13. अध्यक्ष के अधिकार:-

1. प्रबंध कार्यकारिणी तथा साधारण सभा की बैठक बुलाना तथा अध्यक्षता करना
2. प्रस्तावों पर बहुमत के आधार पर निर्णय देना।
3. दो पक्षो में समान मत होने पर अपने मत का प्रयोग कर निर्णय देना ।
4. समस्त सचालित कायकमों में अपनी सहमति से तत्कालिक कार्यवाही कर प्रबंधकारिणी की बैठक में सहमति लेना ।
5. संस्था के हित के लिये न्यायालय में जाना ।
6. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं की देखरेख एंव निरीक्षण करना ।
7. संस्थां के कोष का अपने तथा कोषाध्यक्ष सचिव के हस्ताक्षर से हस्ताक्षर संस्था हित में करना ।

14. उपाध्यक्ष के अधिकार - अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्षता करना, तथा उन समस्त अधिकारों का उपयोग करना जो अध्यक्ष को प्राप्त है अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर साधारण सभा तक अध्यक्ष के रूप में कार्यवाही करना ।

कोषाध्यक्ष श्री हास्पिटल एजूकेशनल एवं स्पोर्ट्स सोयायटी जि.कटनी(म.प्र.)	सचिव श्री हास्पिटल एजूकेशनल एवं स्पोर्ट्स सोयायटी जि.कटनी(म.प्र.)	अध्यक्ष श्री हास्पिटल एजूकेशनल एवं स्पोर्ट्स सोयायटी जि.कटनी(म.प्र.)

क्रमश..

रजिस्ट्रेशन नम्बर ...JK 3991...
रजिस्ट्रेशन का दिनांक ...02/11/1998...
सशोधन का दिनांक ...17/04/26...
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

15. सचिव के अधिकार -

1. बैठक में उपस्थित होकर कार्यवाही सीखना ।
2. बैठक में प्रस्ताव पेश करना ।
3. अध्यक्ष की सहमति से बैठक करना ।
4. संस्था की वार्षिक प्रगति रिपार्ट तैयार कराकर पेश कराना ।
5. अध्यक्ष की स्वीकृति से संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु कार्य संपादन कराना एवं संस्था कि किसी कार्य के लिये 500/- रूपये तक की राशि खर्च करने का अधिकार है ।

16. कोषाध्यक्ष के अधिकार - संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना एवं आय को एकत्रित कर शासकीय बैक या पोस्ट आफिस में जमा करना एंव निकालकर भुगतान करना 2500 /- रूपये तक की राशि अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त है ।

17. सस्था का खाता- संस्था का कोष किसी शासकीय या अर्द्ध शासकीय बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जायेगा जिसमें अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होगें। संस्था की राशि संस्था के खाते में जमा की जायेगी। राशि निकालने के लिये दो हस्ताक्षर अनिवार्य होगे ।

18. विवाद- संस्था में किसी भी प्रकार विवाद उत्पन्न हो जाने पर जो अध्यक्ष को साधारण सभा में बहुमत से सुलझाने का अधिकार है किन्तु फिर भी विवाद रहने पर रजिस्टार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

19. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी - साधारण सभा 14 दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप पर संचालक मण्डल की सूची भेजी जायेगी।

20. पंजीयक को बैठक बुलाने का अधिकार- वार्षिक साधारण सभा न बुलाने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें म०प्र० को या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संस्था की बैठक बुलाने एवं निर्णय देने का अधिकार होगा।

21 संशोधन एवं वृद्धि - साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक के बहुमत से संविधान में सशोधन तथा वृद्धि की जा सकेगी। जिसकी जानकारी पंजीयक को देना अनिवार्य होगी।

22. व्याख्या - सस्था की पंजीयत नियमावली के अधीन नियमो उपनियमों या समस्त नियमों उपनियमों की व्याख्या सबंधी निर्णय जो पंजीयक द्वारा की जायेगी अतिम एवं सर्वमान्य होगी ।

23. सम्पत्ति - सस्था की समस्त सम्पत्ति सस्था के नाम होगी एवं संस्था की चल या अचल सम्पत्ति बिना रजिस्ट्रार फर्म्स संस्थाओं के लिखित सूचना के बेची एवं हस्तांतरित नहीं की जावेगी।

24. विघटन - संस्था का विघटन साधारण सभा में 3/4 तीन चौथाई के बहुमत से किया जाएगा एवं बिघटन के पश्चात समस्त लेन देन पूरा कर शेष सम्पत्ति समान उद्देश्य देने वाली संस्था को सौंपा जाएगा।

कोषाध्यक्ष
श्री हास्पिटल एजूकेशनल
एवं स्पोर्ट्स सोयायटी
जि.कटनी(म.प्र.)

सचिव
श्री हास्पिटल एजूकेशनल
एवं स्पोर्ट्स सोयायटी
जि.कटनी(म.प्र.)

अध्यक्ष
श्री हास्पिटल एजूकेशनल
एवं स्पोर्ट्स सोयायटी
जि कटनी(म.प्र.)

K. PANDIT
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur